

सेवा में

सचिव
जनजाति कल्याण
पोर्टब्लेयर ।

Secy (Iw)
Dis (Iw)

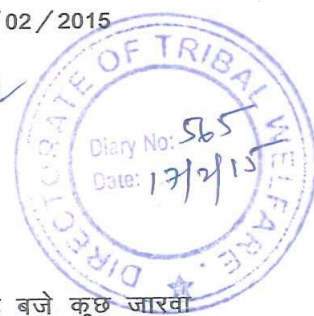
ES



235

तहसील (विधि) का निजी अनुभाग
Personnel Section of Secretary (Law)
आ. व. प्र. सं. / प. डी. नं. 423
दिनांक / Date 16/2/15

दिनांक 16/02/2015



विषय : जिरकाटांग में जारवाओं का घरों में घुसकर तंग करना ।

महोदय,

बात यह है कि दिनांक 14/02/2015 को सुबह करीब आठ बजे कुछ जारवा लोग मेरे घर पर आए तो घरवालों ने गेट बंद कर दिया तो सब फौरन मेरे दुकान पर आ गए और खाने के लिए बिस्कुट वगैरह मांगने लगे । जब मैंने व मेरे पड़ोस के दुकान वाले ने मना किया तो उन जारवाओं ने जोर जबरदस्ती करने लगे । उनके हाथों में दौंव, चुरी व तलवार भी था जिससे वे हमें डरा भी रहा था । इस तरह का मामला पहली बार नहीं है । गत 10/02/2015 को मेरे पड़ोसी श्री. सी. मोइदीन के घर में आकर तीन गोद केला ले गए ।

जब जारवा दुकान पर आकर तंग कर रहे थे तो मैंने जिरकाटांग पुलिस चौकी फोन किया तो चौकी के इंचार्ज ने कहा कि जारवाओं की जिम्मेदारी अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति की है, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते । जब आदिम जनजाति वालों को फोन लगाया तो उनका फोन स्विच आफ मिला ।

जारवाओं का गाँव में आने से रोकना पुलिस व आदिम जनजाति दोनों की जिम्मेदारी है । यह जो भी घटना हुई है उसके लिए दोनों विभागों के कर्मचारी बराबर जिम्मेदार हैं । यह भी सुनने को मिला है कि आदिम जनजाति विकास समिति के लोग जानबूझकर जारवाओं को गाँव में भेजते हैं और उनके द्वारा लाये गये सामान बाद में उनसे ले लेते हैं । अगर वक्त रहते इनको नहीं रोका गया तो इसके परिणाम संगीन हो सकते हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले की जांच कराये और यह सुनिश्चित करें कि दोबारा जारवा गाँव के अंदर न घुसे ।

भवदीय,

आपका आज्ञाकारी

एन. मुहम्मद

जिरकाटांग
दक्षिण अंडमान

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित

- 1 माननीय उप.राज्यपाल, अंडमान व निकोबार दीप समूह की जानकारी हेतु ।
- 2 पुलिस महानिदेशक की जानकारी हेतु ।
- 3 पुलिस निरीक्षक, दक्षिण अंडमान की जानकारी व आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 4 माननीय सांसद, अंडमान व निकोबार दीप समूह की जानकारी हेतु ।
- 5 जिला परिषद अध्यक्ष, दक्षिण अंडमान की जानकारी हेतु ।